रजिस्टर्ड नं० एल० ३८७

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, रविवार, 22 अगस्त, 1971
श्रावण 31, 1893 शक संवत

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका विभाग

संख्या 3730/सत्रह–108-71
लखनऊ, 22 अगस्त, 1971

विज्ञप्ति
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1971 पर दिनांक, 21 अगस्त, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1971 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1971

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1971)
(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920
इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1921
आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926
गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956, और
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965
का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1971 कहलावेगा ।

अध्याय 2

लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5, 1920 की धारा 10 का संशोधन

2––लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 की धारा 10 में, उपधारा (4) में,–– खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :––

"(2–क) जहां कुलपति, समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप कुलपति नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा

सिफारिश किये गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय, तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।"

अध्याय 3

इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1921 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3, 1921 की धारा 11 का संशोधन

3—इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1921 की धारा 11 में, उपधारा (4) में, खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(2-क) जहां कुलपति, समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।"

अध्याय 4

आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 8, 1926 की धारा 9 का संशोधन

4—आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 में, उपधारा (4) में,—

खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(2-क) जहां कुलपति, समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय, तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।"

धारा 14 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (2) में, शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय।

धारा 17 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (4) में, शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय।

7—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा 14 और 17 में किए गए संशोधन आगरा विश्वविद्यालय की नियामक सभा (सिनेट) के और कार्यकारिणी-परिषद् के ऐसे सदस्यों के, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पद धारण किए हों, संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् पद धारण करने वाले विश्वविद्यालय के उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के संबंध में लागू होंगे।

अध्याय 5

गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1956 की धारा 13 का संशोधन

8—गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 13 में, उपधारा (4) में, खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(2-क) जहां कुलपति समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।"

अध्याय 6

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1956 की धारा 12 का संशोधन

9—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 की धारा 12 में, उपधारा (4) में,—

(ख) खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(2-क) जहां कुलपति, समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय, तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।"

अध्याय 7

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1965 की धारा 4 का संशोधन

10—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(8) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कानपुर विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा शाखाओं में शिक्षण तथा शोध कार्यों और उनके ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के संबंध में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जायेगा।"

धारा 9 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (4) में, —

(क) खण्ड (1) में उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(ख) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है, हो या रहा हो, और"

(ख) खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(3) जहां कुलपति समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उपकुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय, तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।"

धारा 26 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 26 में—

(1) उपधारा (3) में शब्द "अभिदेश करने के पश्चात्" शब्द "विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की" बढ़ा दिये जायं,

(2) उपधारा (4) में शब्द "जो केवल राज्य सरकार द्वारा संधारित न हो" निकाल दिये जायं;

(3) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(5) राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संधारित किसी संबद्ध कालेज में अध्यापक के पद पर भर्ती और उस पर नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों के संबंध में इस धारा अथवा धारा 28 की कोई बात लागू न होगी।"

धारा 28 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 28 में—

(1) उपधारा (1) में शब्द "केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न" निकाल दिये जायं;

(2) उपधारा (3) में शब्द "केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न", निकाल दिए जाएं।

नई धारा 47-क का बढ़ाया जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ाई गई समझी जाय, अर्थात :—

"47-क—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी कार्य या कार्यवाहियों पर केवल इस आधार पर कि उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति थी या उसके संघटन में कोई त्रुटि थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाय कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था, कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।"

अपवाद

अधिनियम में अस्थायी संशोधन तथा वैधीकरण

15—(1) मूल अधिनियम ऐसी अवधि के दौरान जो अनुसूची 1 के स्तंभ 3 में निर्दिष्ट दिनांक से प्रारंभ होकर तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से तीन वर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प अवधि जिसके लिए राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, उक्त अनुसूची क स्तंभ 1 और 2 में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायगा।

(2) अनुसूची 2 में निर्दिष्ट, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किये जाने क लिए तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गई या की जाने क लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित

मूल अधिनियम के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी, और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायेंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो ।

अधिनियम में अस्थायी अवधि के लिए परिनियमों का निगमित किया जाना तथा उनका वैधीकरण

16--(1) मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम परिनियमावली के रूप में बनाई जाने के लिए तात्पर्यित तथा दिनांक 28 सितम्बर, 1968 के असाधारण गजट में उसी दिनांक की अलग-अलग विज्ञप्तियां संख्या ग-1-(आर०)-4699/15--39 (9)-66, तथा ग-1-(आर०)-7578/15—39 (9)-66, के साथ क्रमशः प्रकाशित की गई कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों की परिनियमावली, जिनमें दिनांक 31 दिसम्बर, 1968 के असाधारण गजट में उसी दिनांक की विज्ञप्ति संख्या ग-1 (र)-10988/15--39 (9) -66, के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1968 द्वारा संशोधित तात्पर्यित हुए (जिन्हें आगे इस धारा में उक्त प्रथम परिनियमावली कहा गया है) एतद्द्वारा ऐसी अवधि के दौरान जो 28 सितम्बर, 1968 से प्रारंभ होकर तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से तीन वर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प अवधि जिसके लिए राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, मूल अधिनियम के भाग के रूप में अधिनियमित की जाती है, तथा मूल अधिनियम उस सीमा तक जहां तक वे उक्त प्रथम परिनियमावली के उपबन्धों से असंगत हों, ऐसे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायेगा ।

(2) उक्त प्रथम परिनियमावली के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही उपधारा (1) द्वारा यथा अधिनियमित उक्त परिनियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायेंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 तथा 9, 1971 का निरसन

17--कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, 1971 और कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

अनुसूची 1

[धारा 15 (1) देखिये]

मूल अधिनियम के उपबन्ध	संशोधन	दिनांक जिससे संशोधन प्रभावी होगा और प्रभावी हुआ समझा जायेगा
1	2	3
धारा 12(4)	शब्द "विद्वत् परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिए जायें ।	17 मई, 1967
धारा 17	निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय---	8 दिसम्बर, 1967
	"प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि धारा 15 के अधीन कोर्ट यथाविधि संघटित न किया जाय, दीक्षान्त समारोह करने तथा धारा 5 के खण्ड (4) में उल्लिखित व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं के प्रदान एवं संपादन करने से संबंधित कोर्ट के अधिकारों तथा कृत्यों का प्रयोग तथा संपादन कार्यकारिणी परिषद् द्वारा किया जायगा ।"	
	निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय :---	16 जनवरी, 1971
	"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि कोर्ट यथाविधि संघटित न किया जाय, अतिरिक्त परिनियम बनाने तथा ऐसे बनाए गए परिनियमों में [किन्तु उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 16 में अभिदिष्ट परिनियमों में नहीं] संशोधन और निरसन के अधिकार तथा कृत्यों का प्रयोग तथा संपादन राज्य सरकार द्वारा किया जायगा, और धारा 31 के उपबन्ध इन अधिकारों तथा कृत्यों के प्रयोग तथा संपादन के संबंध में लागू नहीं होंगे ।"	3

2		3
	निम्नलिखित तृतीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय :—	9 जून, 1971
	"प्रतिबन्ध यह भी है कि उस सीमा तक, जहां तक धारा 4 की उपधारा (8) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो, उक्त अधिनियम की धारा 16 में अभिदिष्ट परिनियम भी राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती अंतिम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन संशोधित किए जा सकते हैं।"	
धारा 18	निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय :—	10 मार्च, 1967
	"(4) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन कार्यकारिणी परिषद् संघटित न की जाय, तब तक उसमें निम्नलिखित होंगे :—	
	(1) उपकुलपति, तथा	
	(2) उन्नीस से अनधिक अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर और ऐसे कार्यकाल के लिए, जो निर्दिष्ट किया जाय, नाम-निर्दिष्ट किये जायें।"	
धारा 19(3)	निकाल दी जायें ..	17 मई, 1967
धारा 20(3) तथा (4)	निकाल दी जायें ..	17 मई, 1967
धारा 26(4)	शब्द "विश्वविद्यालय की संबद्ध विषय की चयन समिति" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिए जायें।	17 मई, 1967
धारा 33(1)	प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ख) तथा (ग) निकाल दिए जाय।	17 मई, 1967
धारा 37(1)	शब्द "विद्वत् परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिए जायें।	17 मई, 1967
धारा 37(4)	निकाल दी जाय। ..	17 मई, 1967

अनुसूची 2

[धारा 15(2) देखिए]

1—10 मार्च, 1967 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-1/1540/पन्द्रह—39(74)-66, दिनांक 10 मार्च, 1967 के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1967।

2—17 मई, 1967 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-1/2177/15—39(74)-66, दिनांक 17 मई, 1967 के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1967।

3—15 जुलाई, 1967 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-1—(आर०)/4939/15—39(74)-66, दिनांक 15 जुलाई, 1967 के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, 1967।

4—8 दिसम्बर, 1967 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-1/8594/15—39-ए (19)-67, दिनांक 8 दिसम्बर, 1967 के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, 1967।

5—7 मई, 1968 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-1—(आर०)-3670/15—39(64)—66, दिनांक 7 मई, 1968 के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1968।

6—31 दिसम्बर, 1968 के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग—1 (र)—9035/15—39 (9)—66, दिनांक 31 दिसम्बर, 1968 के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, 1968।

No. 3730/XVII—108/71

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1971(Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1971) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 21, 1971.

THE UTTAR PRADESH UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 1971

(U. P. Act No. 19 of 1971)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend

the Lucknow University Act, 1920 ;
the Allahabad University Act, 1921 ;
the Agra University Act, 1926 ;
the Gorakhpur University Act, 1956 ;
the Varanaseya Sanskrit Vishva Vidyalaya Act, 1956 ; *and*
the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965.

It is hereby enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows :

CHAPTER I

Preliminary

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Universities (Amendment) Act, 1971.

CHAPTER II

Amendment of the Lucknow University Act, 1920

Amendment of section 10 of U. P. Act V of 1920

2. In section 10 of the Lucknow University Act, 1920, in sub-section (4),—

after clause (ii) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(ii-*a*) Where the Chancellor does not consider any of the persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may call for fresh recommendations from the Committee."

CHAPTER III

Amendment of the Allahabad University Act, 1921

Amendment of section 11 of U. P. Act III of 1921.

3. In section 11 of the Allahabad University Act, 1921, in sub-section (4),—

after clause (ii) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(ii-*a*) Where the Chancellor does not consider any of the persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may call for fresh recommendations from the Committee."

CHAPTER IV

Amendment of the Agra University Act, 1926

Amendment of section 9 of U.P. Act VIII of 1926.

4. In section 9 of the Agra University Act, 1926 (hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act), in sub-section (4),—

after clause (ii) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(ii-*a*) Where the Chancellor does not consider any of the persons recommended by the Committee to be suitable for appointment

as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may call for fresh recommendations from the Committee."

Amendment of section 14.

5. In section 14 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the word "five" the word "three" shall be *substituted*.

Amendment of section 17.

6. In section 17 of the principal Act, in sub-section (4), *for* the word "five" the word "three" shall be *substituted*.

7. The amendments made in sections 14 and 17 of the principal Act by this Act shall apply in relation to members of the Senate and of the Executive Council of the Agra University holding office immediately before the commencement of this Act as they apply in relation to members of the said authorities of the University taking office after the said commencement.

CHAPTER V

Amendment of the Gorakhpur University Act, 1956

Amendment of section 13 of U.P. Act No. XX of 1956.

8. In section 13 of the Gorakhpur University Act, 1956, in sub-section (4),—

after clause (ii) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(ii-*a*) Where the Chancellor does not consider any of the persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may call for fresh recommendations from the Committee."

CHAPTER VI

Amendment of the Varanaseya Sanskrit Vishva Vidyalaya Act, 1956

Amendment of section 12 of U. P. Act No. XXVIII of 1956.

9. In section 12 of the Varanaseya Sanskrit Vishva Vidyalaya Act, 1956, in sub-section (4),—

after clause (ii) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(ii-*a*) Where the Kulapati does not consider any of the persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Upa-Kulapati or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Kulapati is restricted to less than three persons, he may call fresh recommendations from the Committee."

CHAPTER VII

Amendment of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965

Amendment of section 4 of U. P. Act No. XIII of 1965.

10. In section 4 of the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *after* sub-section (7), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(8) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the powers conferred on the Kanpur University in respect of instructions and research in the Ayurvedic and Unani branches of medicine and advancement and dissemination of knowledge thereof shall be exercisable throughout Uttar Pradesh."

Amendment of section 9.

11. In section 9 of the principal Act, in sub-section (4)—

(*a*) in clause (i), *for* clause (*b*) the following sub-clause shall be *substituted*, namely :—

"(*b*) any person who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad including the Chief Justice thereof, nominated by the said Chief Justice and"

(*b*) *for* clause (iii) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(iii) Where the Chancellor does not consider any of the persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not

available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may call for fresh recommendations from the Committee."

Amendment of section 26.

12. In section 26 of the principal Act—

(i) in sub-section (3), *after* the words "An officiating appointment" the words "of a teacher of the University" shall be *inserted* ;

(ii) in sub-section (4), the words "not being maintained exclusively by State Government" shall be *omitted* ;

(iii) *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(5) Nothing in this section or in section 28 shall apply in relation to the recruitment, and conditions of service of a person appointed to a post of teacher in an affiliated college maintained by the State Government or by a local authority."

Amendment of section 28.

13. In section 28 of the principal Act—

(i) in sub-section (1), the words "not being a college maintained exclusively by the Government" shall be *omitted* ;

(ii) in sub-section (3), the words "other than a college maintained exclusively by the Government" shall be *omitted*.

Insertion of new section 47-A.

14. *After* section 47 of the principal Act, the following section shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"47-A. No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be called in question merely on the ground of the existence of any vacancy in the membership thereof or any defect in its constitution, or of some person having taken part in the proceedings thereof who is subsequently discovered not to have been entitled so to do."

Savings.

Temporary amendments in the Act and validation.

15. (1) The principal Act shall during a period beginning on the date specified in Column III of Schedule I and ending on the expiration of three years (or such shorter period as the State Government may by notification in the *Gazette* direct), from the commencement of this Act have effect and be deemed to have had effect subject to the amendments specified in Columns I and II of the said Schedule.

(2) Anything done or purporting to have been done or any action taken or purporting to have been taken under the principal Act as amended by the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order, specified in Schedule II, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act and to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times, any judgment, decree or order of any Court to the contrary notwithstanding.

Incorporation of statutes for a temporary period in the Act and their validation.

16. (1) The Statutes of the Kanpur and Meerut Universities purporting to have been made under sub-section (1) of section 31 of the principal Act and published respectively with notifications nos. CI(R)/4699/XV—39(9)-66 and CI(R)/7578/XV—39(9)-66, dated September 28, 1968, in *Gazette Extraordinary* of the same date as purporting to have been amended by the Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Third) Order, 1968, published with notification no. CI(R)/10988/XV—39(9)-1966, dated December 31, 1968, in the *Gazette Extraordinary* of the same date (hereinafter in this section referred to as the said First Statutes), are hereby enacted as forming part of the principal Act during a period beginning on September 28, 1968 and ending on the expiration of three years (or such shorter period as the State Government may by notification in the *Gazette* direct), from the commencement of this Act and the principal Act shall, to the extent of any inconsistency with the provisions of the said First Statutes, have effect and be deemed to have had effect subject to such provisions.

(2) Anything done or purporting to have been done or any action taken or purporting to have been taken under the said First Statutes shall be deemed to have been done or taken under the said statutes as enacted by sub-section (1) and to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times, any judgment, decree or order of any Court to the contrary notwithstanding.

Repeal of U. P. Ordinances no. 4 and no. 9 of 1971.

17. The Kanpur and Meerut Universities (Amendment and Transitional Provisions) Ordinance, 1971 and the Kanpur and Meerut Universities (Second Amendment) Ordinance, 1971, are hereby repealed.

SCHEDULE I

[(*See* SECTION 15 (1)]

Provision of Principal Act	Amendments	Date from which the amendment shall have and be deemed to have had effect
I	II	III
Section 12(4) ..	*Substitute* the words "Executive Council" *for* the words "Academic Council".	May 17, 1967
Section 17 ..	*Add* the following proviso : "Provided that for so long as the Court is not duly constituted under section 15, the powers and functions of the Court in relation to holding of Convocation and granting and conferring of degrees, diplomas and other academic distinctions to and on persons mentioned in clause (iv) of section 5 shall be exercised and performed by the Executive Council."	December 8, 1967
	Add the following second proviso : "Provided further that for so long as the Court is not duly constituted, the powers and functions relating to the framing of additional statutes and of amending and repealing the statutes so framed (but not the statutes referred to in section 16 of the Uttar Pradesh Universities (Amendment) Act, 1971, shall be exercised and performed by the State Government, and the provisions of section 31 shall not apply in relation to the exercise and performance of such powers and functions."	January 16, 1971
	Add the following third proviso : "Provided also that to such extent as may be necessary for carrying out the purposes of sub-section (8) of section 4 the statutes referred to in section 16 of the said Act may also be amended by the State Government under the last preceding proviso."	June 9, 1971
Section 18 ..	*Add* the following sub-section : "(4) *For* so long as the Executive Council is not duly constituted under sub-section (1), it shall consist of— (i) the Vice-Chancellor ; and (ii) not more than nineteen other persons, to be nominated by the State Government from time to time and for such respective terms as may be specified."	March 10, 1967
Section 19(3) ..	*Omit*	May 17, 1967
Section 20(3) and (4)	*Omit*	May 17, 1967
Section 26(4) ..	*Substitute* the words "Executive Council" *for* the words "Selection Committee of the University in the subject concerned".	May 17, 1967
Section 33(1) ..	*Omit* clauses (*b*) and (*c*) of the proviso thereto ..	May 17, 1967
Section 37(1) ..	*Substitute* the words "Executive Council" *for* the words "Academic Council".	May 17, 1967
Section 37(4) ..	*Omit*	May 17, 1967

SCHEDULE II

[*See* SECTION 15(2)]

(1) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order, 1967, published with notification no. CI-1540/XV—39(74)-66, dated March 10, 1967, in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

(2) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Second) Order, 1967, published with notification no. CI-2177/XV—39(74)-66, dated May 17, 1967, in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

(3) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Third) Order, 1967, published with notification no. CI(R)-4939/XV—39(74)-1966, dated July 15, 1967, in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

(4) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Fourth) Order, 1967, published with notification no. CI-8594/XV—39-A(19)-1967, dated December 8, 1967, in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

(5) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) Order, 1968, published with notification no. CI(R)-3670/XV—39(74)-1966, dated May 7, 1968, in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

(6) The Kanpur and Meerut Universities (Removal of Difficulties) (Second) Order, 1968, published with notification no. CI(R)-9035/XV—39(9)-1966, dated December 31, 1968, in the *Gazette Extraordinary* of the same date.

आज्ञा स,
प्रेम प्रकाश,
सचिव ।

PSUP—A. P. 122 Gaz. (H.)—1971. 1,960.+50 (M).